न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 02/2009
निर्णय दिनांकः– 08.04.2021

उनवान

1.मो0 अजीज पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.आकिल पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.आदिल पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.बाबू खां पुत्र अल्लाद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.गुलफान पुत्र अल्लाद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.असरूद्दीन पुत्र अल्लाद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.गुल मोहम्मद पुत्र अल्लाद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.अमीरन पुत्री अल्लाद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
6.कसीरन पुत्री अल्लाद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
7.नन्नी बेवा अल्लाद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
8.जाकिर पुत्र मेहमूद खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
9.गुड्डू खां पुत्र मेहमूद खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
10.फरीद खां पुत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील व जिला बून्दी
11.रसीद खां पुत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील व जिला बून्दी
12.फरीदा पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील व जिला बून्दी
13.आसियां बेवा मकबूल जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
14.रसीदा पुत्री मकबूल जाति मुसलमान पत्नी सिराज खां निवासी हाल विज्ञाननगर कोटा
15.रमजानी पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
15.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारे हक,उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन वकील वादीगण
श्री बी0यू0खान वकील प्रतिवादीगण 1 ता 7

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 10 ता 15 एक ही परिवार के व्यक्ति है, जिनकी पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात साबिका ख0न0 628/2, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा , ख0न0 1581 रकबा 2 बीघा 13बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम उनियारा मे स्थित है। जो कि पूर्व मे वादीगण के पूर्वजर रहमान खां पुत्र गुलाब खां के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे अंकित थी। रहमान खां के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

रहमान खां पुत्र गुलाब खां

सुभान खां	गनी खां	मकबूल	रमजानी
1.मो0 अजीज	1. फरीद खां	1. आसियां बेवा	प्रति.न. 15
2.आकील	2. रसीद खां	2.रसीदा पुत्री	
3.आदिल	3. फरीद पुत्री	प्रति. 13–14	
वादीगण	प्रति. 10–12		

रहमान खां के 4 पुत्र हुये। उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। जिसके अनुसार वादीगण का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी सं. 10 ता 12 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी न0 13 व 14 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 15 का 1/4 हिस्सा है। किन्तु ख0न0 628/2, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा जिसके बाद मे ख0न0 2419 हुये तथा हाल नये नम्बर 2642 है जो वादीगण के पूर्वज रहमान खां पुत्र गुलाब खां की खातेदारी मे उनकी वल्दियत चेंज करके रहमान खां पुत्र गुलाब खां के स्थान पर रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां के नाम से सं. 2030 के बाद राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से साज करके परिवर्तन कर दिया। जो अभी रहमान खां के पुत्रों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं । रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां ना तो कोई रहमान खां पुत्र गुलाब खां के परिवार के सदस्य है, ना ही उनका इस आराजी मे कोई हक व हिस्सा है। वादीगण समाज के अनुसार देशवाली है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 पठान हैं। भूमि ख0न0 1581 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जो वीगण के पूर्वज रहमान खां की खातेदारी की थी, उसे रमजानी अर्थात प्रतिवादी न0 15 के नाम बिना हक व अधिकार अथवा आदेश या डिकी के दर्ज कर दिया, जबकि उक्त आराजीयात भी रहमान खां पुत्र गुलाब खां के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी, जिसमे वादीगण का 1/4 हक व हिस्सा है। उक्त आराजी सम्वत 2022 से 2025 तक वादीगण के पूर्वज रहमान खां पुत्र गुलाब खां की खातेदारी मे दर्ज रही किन्तु सम्वत 2030 के बाद उक्त आराजीयात को बिना किसी हक व अधिकार व आदेश के प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दियां, इस कारण पश्चातवर्ती प्रविष्टि बहक प्रतिवादीगण, वादीगण के हितो पर प्रभावहीन एवं शून्य है। उक्त आराजीयात मे वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है। इस कारण उक्त आराजीयात मे वादीगण के 1/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम अंकन कराया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण 1 ता 9 का दूर का भी सम्बन्ध नही है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने एक नाम का फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को गलत रूप से अपने नाम अंकित करवा लिया तथा वादीगण को बेदखल करने व उनके हक व अधिकारों से मेहरूम करने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करने पर आमादा है, इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण की अधियाचना हैं कि भूमि खसरा नम्बर साबिक 628/2, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल ख.न. 2419 एवं हाल ख.न. 2642 रकबा 2.50 है0 एवं साबिक ख0न0 1581 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा हाल ख0न0 260, 1098 रकबा 0.65 है0 वाके उनियारा मे वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुरूप वादीगण के नाम अमल दरामद कराया जाये। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदा सर्वदा के लिये पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट नोकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के उक्त वर्णित आराजीयात या उनके किसी भाग को अवैध अंकन के आधार पर खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित नहीं करे न करावे।

उक्त वाद पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 10, 11, 12, 13, 14 व 15 के उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 28.07.2009 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी न0 8 व 9 के

उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 22.10.2010 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रतिवादीगण 1 ता 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया कि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता व 7 के पति की आराजीयात है, जो उन्हे विरासत से मिली है। उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के बाबा रहमान खां वल्द मोहम्मद खां के खातेदारी एवं कब्जे काष्त की आराजीयात थी। जिसका इन्द्राज चकबन्दी सम्वत 2010 मे स्पष्ट है। वादीगण व प्रतिवादीगण 8 ता 16 का कोई सम्बन्ध नही है। आराजीयात साबिका ख0न0 628/2, ख0न0 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा अमीरूद्दीन खान सामान हाल अजमेर की थी जो नोकरी बाद चला गया था तथा कब्जे के आधार पर दिनांक 4.2.47 को प्रतिवादीगण के बाबा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 10.2.47 को चोथान वसूल कर प्रतिवादीगण के बाबा के नाम दर्ज कर दी तब से निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। आराजी ख0न0 1581 से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण के बाबा व प्रतिवादीगण के बाबा का नाम रहमान खां था, परन्तु प्रतिवादीगण के बाबा की वल्दियत मोहम्मद खां थी तथा वादीगण के बाबा की वल्दियत गुलाब खां थी। वादग्रस्त आराजी समवत 2010 मे प्रतिवादीगण के बाबा के खातेदारी मे दर्ज थी, उसके बाद विरासत मे प्रतिवादीगण के पिता के नाम आई तथा पिता से प्रतिवादीगण के नाम रिकार्ड मे दर्ज है, मौके पर निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात वादीगण के बाबा ने गलत रूप से साजिश करके अपने खाते मे ख0न0 1581 के साथ खाते मे दर्ज करा ली थी। वादीगण ने सम्वत 2022 से पूर्व की जमाबन्दी तथा सम्वत 2029 के बाद की जमाबन्दी या कब्जे के सम्बन्ध मे कोई खसरा गिरदावरी या लगान रसीदात प्रस्तुत नही की, क्योंकि वादग्रस्त आराजी वादीगण के बाबा की खातेदारी की नही थी और ना ही आज तक कब्जा काश्त है। कब्जे के अभाव मे वादीगण घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज है तथा प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। वादीगण ने यह भी वादपत्र मे अंकित नही किया है कि वादग्रस्त आराजीयत वादीगण के बाबा के पास कहा से आई, जबकि वादग्रस्त आराजीयात सं. 2010 मे चकबन्दी मे प्रतिवादीगण के बाबा के नाम दर्ज है तथा कब्जा काश्त निरंतर खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से आज तक लगातार दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात के हाल ख0न0 2419, 2423, 2424 जिसके नवीन ख0न0 2642, 2646, 2647 है, प्रतिवादीगण न0 1 ता 7 के खातेदारी मे दर्ज है तथा मौके पर फसल काश्त है। वादीगण की नियत मे बैईमानी आ गई है , इस कारण गलत तथ्य अंकित कर वाद पेश किया है। अतः वाद वादीगण मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावे उपरान्त वाद मे निम्न तनकियात कायम की गईः–

1.आया आराजी ख0न0 साबिक 628/2, 630 हाल ख0न0 2419 व 2642 एवं साबिक ख0न0 1581 हाल ख0न0 260, 1098 पूर्व मे वादीगण के पूर्वज रहमान खां पुत्र गुलाब खां के नाम थी जिसे राजस्व व सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा रहमान खा पुत्र मोहम्मद खां के नाम दर्ज कर दिया, जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाइ दवामी पाबन्द करवाने के हकदार है?

–वादीगण

2.आया वादग्रस्त आराजीयात सम्वत 2010 से ही प्रतिवादीगण न0 1 ता 7 के बाबा के नाम थी तथा तभी से कब्जा काश्त चला आ रहा है?

–प्रतिवादी न0 1 ता 7

3.दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 ता 2025 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2026 ता 2029 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2034 ता 2037 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2056 ता 2059 प्रदर्श 4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 प्रदर्श 7, नकल भू प्रबन्ध विभाग खसरा प्रपत्र प्रदर्श 8, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 10, नकल जमाबन्दी

सम्वत 2060 ता 2063 प्रदर्श 11, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2037 प्रदर्श 12, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 ता 2022 प्रदर्श 13, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 ता 2034 प्रदर्श 14, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 ता 2014 प्रदर्श 15, पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे पी0डब्लू0 1 आकिल , पी0डब्लू02 गोपाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिसमे से गोपाल जिरह प्रतिवादी वकील से जिरह हेतु उपस्थित नही हुआ। इस कारण बयानों प्रस्तुत शपथ पत्र मान्य नही है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 प्रदर्श ए 1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2022 प्रदर्श ए 2, नकल खसरा मौजा सम्वत 1999 प्रदर्श ए 3, नकल भू प्रबन्ध प्रदर्श ए 4, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 प्रदर्श ए 5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2027 से 2030 प्रदर्श ए 6, नकल चकबन्दी सम्वत 2010 प्रदर्श ए 7, नकल आदेश दिनांक 10.2.47 प्रदर्श ए 8, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए 9, नकल जमाबन्दी सम्वत 2048 ता 2052 प्रदर्श ए 10, नकल जमाबन्दी सम्वत 2052 ता 2055 प्रदर्श ए 11, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 प्रदर्श ए 12, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2063 प्रदर्श ए 13, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए 14, नकल जमाबन्दी सम्वत 2034 ता 2037 प्रदर्श ए 15, नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 ता 2025 प्रदर्श ए 16, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 प्रदर्श ए 17 पे । किये है।

प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के समर्थन मे डी0डब्लू0 1 बाबू खां , डी0डब्लू0 2 मोहम्मद भारीफ व डी0डब्लू 3 रामस्वरूप के बयान कलमबद्ध करवाये।

उभय पक्ष के वकील की बहस सुनी गई। दोराने बहस विद्वान वकील वादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण जवाब मे कुछ अलग बोल रहे है। रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां बता रहे है। खसरा नम्बर 2642, 2647, 2419 बाकी रिकार्ड बाद का है। जिसमे गलत दर्ज करवा लिया। राजस्व रेकार्ड मे कही कोई नामान्तरकरण या नोट अंकित नही है जिसमे रहमान पुत्र मोहम्मद खां के नाम नामान्तरकरण खुला हो और न ही इस बारे मे कोई आदेश हुआ है। केवल रहमान खां के नाम पर मोहम्मद खां के पुत्र बन रहे है। इनकी जमाबन्दी मे भी रहमान खां पुत्र गुलाब खां की आराजीयात है। यह रिकार्डेड है। आकिल ने भी अपने भापथ पत्र मे कहा है कि ये हमारे गोत्र के नही है। वादीगण देशवाली जाति से है जबकि प्रतिवादीगण पठान जाति से है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादीगण 1 ता 7 के विद्वान वकील ने बहस मे तर्क दिया कि समवत 2010 के बाद से 2022 तक जो भी काश्त करता था, नकल चकबन्दी सम्वत 2010 प्रदर्श ए 7 में भूमि उसकी नाम हुआ करती थी। नकल आदेश दिनांक 10.2.47 प्रदर्श ए 8 में प्रार्थना पत्र पर लगान की चौथान राशि जमा कर प्रवितादीगण 1ता 7 के बाबा रहमान वल्द मोहम्मद खां के नाम खातेदारी प्रदान की गई थी। गुलाब खां के पास जमीन कहा से आई। दावा वादीगण लेकर आये है। सम्वत 2022 से पूर्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। वादी साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी की भी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। पी0 डब्लू0 1 ने बयान मे कथन किया है कि ख0न0 1581 मेरे है। जिसका नया खसरा नम्बर 1482 बता रहे है। खसरा नम्बर 603 व 628 का दावा है। वादग्रस्त जमीन के पुराने नम्बर 2419 लिखाये है। सम्वत 2020 से 2030 के बीच आराजी हमारी थी। दोनों के दादा का नाम समान है। प्रदर्श 13 रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां दर्ज है। यह भूमि सम्वत 2022 से 2029 तक रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां के नाम थी। प्रतिवादी न0 8 व 9 नाम के कोई व्यक्ति नही है। पी0डब्लू 2 जिरह के बिना शपथ पत्र पूर्ण नही है। इसकी जिरह नही हुई है। वादीगण ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नही किये हैं। साक्ष्य प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 7 का कब्जा काश्त साबित है। वाद वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण के वकील ने पुनः प्रत्युत्तर मे कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1581 से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने राजस्व रेकार्ड मे रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां का नाम दर्ज करवा लिया।

उप [illegible]

उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद वाद पत्र मे कायम शुदा तनकियात पर न्यायालय का विवेचन निम्नवत है :–

1.तनकी न0 1 :–तनकी नम्बर 1 मे वादी को यह सिद्ध करना था कि आया आराजी ख0न0 साबिक 628/2, 630 हाल ख0न0 2419 व 2642 एवं साबिक ख0न0 1581 हाल ख0न0 260, 1098 पूर्व मे वादीगण के पूर्वज रहमान खां पुत्र गुलाब खां के नाम थी जिसे राजस्व व सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा रहमान खा पुत्र मोहम्मद खां के नाम दर्ज कर दिया, जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाइ दवामी पाबन्द करवाने के हकदार है?

प्रस्तुत प्रकरण मे मुख्य विवाद वादीगण के पूर्वज रहमान के पिता गुलाब खां व प्रतिवादीगण 1 ता 7 के दादा रहमान के पिता मोहम्मद खां को लेकर मुख्य विवद है। वादीगण रहमान खां के पिता का नाम गुलाब बता रहे है तथा प्रतिवादीगण उनके दादा रहमान खां के पिता का नाम मोहम्मद खां बता रहे है। वादीगण ने अपने दावे मे कथन किया है कि उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज रहमान खां पुत्र गुलाब खां की थी। जिसे सेटलमेन्ट विभाग व राजस्व कर्मचारियान ने बाद मे रहमान खां पुत्र गुलाब खां के स्थान पर रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां दर्ज कर दिया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 वाके ग्राम उनियारा प्रदर्श 1 मे साबिक ख0न0 628/2, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1581 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा रहमान खां पुत्र गुलाब खां कोम मुसलमान सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 वाके ग्राम उनियारा प्रदर्श 2 मे साबिक ख0न0 628/2, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1581 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा रहमान खां पुत्र गुलाब खां कोम मुसलमान सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 वाके ग्राम उनियारा प्रदर्श 3 मे साबिक ख0न0 628/3, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां मुसलमान सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 वाके ग्राम उनियारा प्रदर्श 4 मे हाल आराजी खसरा नम्बर 2419 रकबा 2.50, ख0न0 2423 रकबा 0.81, ख0न0 2424 रकबा 0.06 कुल किता 3 कुल रकबा 3.37 है0 अल्लादीन, महमूद पि0 रहमान खां मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 वाके ग्राम उनियारा प्रदर्श 7 मे हाल आराजी खसरा नम्बर 2642 रकबा 2.50, ख0न0 2646 रकबा 0.81, ख0न0 2647 रकबा 0.06 कुल किता 3 कुल रकबा 3.37 है0 अल्लादीन, महमूद पि0 रहमान खां मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा चकबन्दी मोजा उनियारा प्रदर्श ए 7 मे साबिक आराजी ख0न0 628/2, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा रहमान खां वल्द मोहम्मद खां मुसलमान सा उनियारा आराजी माफी वसीगे नोकरी दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श ए 3 खसरा मोजा उनियारा सम्वत 1999 मे साबिक ख0न0 628/2 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 630 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा खान सामान अमीरूद्दीन सा अजमेर हाल आबाद के नाम दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए 1 मे साबिक ख0न0 628/2 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा माफी व सिगे नोकरी रहमान खां मुसलमान सा0 देह खुद काश्त दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2022 वाके ग्राम उनियारा प्रदर्श ए 2 मे साबिक ख0न0 628/2 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां का नाम दर्ज है। प्रदर्श ए 4 खसरा पत्रक ग्राम उनियारा मे आराजी ख0न0 2419 रकबा 2.50 है0 मे रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां मुसलमान सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 वाके ग्राम उनियारा प्रदर्श ए 5 मे साबिक ख0न0 628/2 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां सा0 देह खुद का. मुद्दत कदीम दर्ज है। प्रदर्श ए 15 नकल जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 वाके ग्राम उनियारा मे साबिक ख0न0 628/3, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां मुसलमान सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श ए 10 नकल जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 वाके ग्राम उनियारा मे आराजी खसरा नम्बर 2419 रकबा 2.50, ख0न0 2423 रकबा 0.81, ख0न0 2424 रकबा 0.06 कुल किता 3 कुल रकबा 3.37 है0 अल्लादीन, महमूद पि0 रहमान खां मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श ए 12 नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से

उप खण्ड अधिकारी

2067 वाके ग्राम उनियारा मे आराजी खसरा नम्बर 2642 रकबा 2.50, ख0न0 2646 रकबा 0.81, ख0न0 2647 रकबा 0.06 कुल किता 3 कुल रकबा 3.37 है0 अल्लादीन, महमूद पि0 रहमान खां मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमे अल्लादीन के फोत हो जाने से उनका नाम लाल स्याही से दर्ज है। प्रदर्श ए 16 नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 वाके ग्राम उनियारा मे साबिक ख0न0 628/2, 630 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा , ख0न0 1581 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा रहमान खां पुत्र गुलाब खां मुसलमान सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे यह अंकित नही किया है कि उक्त आराजी 2022 से पूर्व किस की खातेदारी मे रही है तथा सम्वत 2022 मे रहमान खां पुत्र गुलाब खां कोम मुसलमान के नाम किस आधार पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज हुई है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की है। जबकि प्रतिवादीगण ने सम्वत 2022 से पूर्व का राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया है जिसमे रहमान खां के पिता का नाम मोहम्मद खां दर्ज रहा है। वादीगण क्लीन हेण्ड से न्यायालय के समक्ष नही आये है।

उपरोक्त विवेचन से वादीगण इस तनकी को साबित करने मे विफल रहे है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

2.तनकी न0 2 :–तनकी नम्बर 2 मे प्रतिवादीगण 1 ता 7 को यह सिद्ध करना था कि . आया वादग्रस्त आराजीयात सम्वत 2010 से ही प्रतिवादीगण न0 1 ता 7 के बाबा के नाम थी तथा तभी से कब्जा काश्त चला आ रहा है?

तनकी नम्बर 2 मे विवेचन किया जा चुका है कि वादग्रस्त आराजीयात सम्वत 2022 से पूर्व से अर्थात 2010 से रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रही है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा परिवर्तनशीलों से वादग्रस्त आराजीयात पर रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां का कब्जा काश्त दर्ज हैं । वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 2419 रकबा 2.50, ख0न0 2423 रकबा 0.81, ख0न0 2424 रकबा 0.06 कुल किता 3 कुल रकबा 3.37 है0 प्रतिवादीगण 1 ता 7 के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त तनकियात के निर्णय के विवेचन के आधार पर न्यायालय वादीगण के वाद को डिकी किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.मो0 अजीज पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.आकिल पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.आदिल पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.बाबू खां पुत्र अल्लादद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.गुलफान पुत्र अल्लादद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.असरूद्दीन पुत्र अल्लादद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.गुल मोहम्मद पुत्र अल्लादद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.अमीरन पुत्री अल्लादद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
6.कसीरन पुत्री अल्लादद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
7.नन्नी बेवा अल्लादद्दीन खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
8.जाकिर पुत्र मेहमूद खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
9.गुड्डू खां पुत्र मेहमूद खां जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
10.फरीद खां पुत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील व जिला बून्दी
11.रसीद खां पुत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील व जिला बून्दी
12.फरीदा पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी तालेडा तहसील व जिला बून्दी
13.आसियां बेवा मकबूल जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
14.रसीदा पुत्री मकबूल जाति मुसलमान पत्नी सिराज खां निवासी हाल विज्ञाननगर कोटा
15.रमजानी पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
15.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारे हक,उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 02 वर्ष 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पी0सी0जैन वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री बी0 यू0 खान वकील प्रतिवादी 1 ता 7.मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वाद वादीगण खारिज किया जाता है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 04 सन् 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक